



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 8767/22/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 19, अगस्त 2018

सहायक प्राध्यापक परीक्षा – 2017

चयन – सूची

पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017/दिनांक 12.12.2017 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के सन्दर्भ में आयोजित सहायक प्राध्यापक ऑनलाईन परीक्षा – 2017 के तहत उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अंतर्गत पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान के निम्नांकित तालिका में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 29 जून, 2018 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक + अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों के योग के गुणानुक्रम में से प्राप्त अग्रमान्यता के आधार पर पदवार चयन सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

1 सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	0	2	3	2	7
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	1	1	
कुल पदों में से अस्थिबाधित निःशक्तजन के लिये आरक्षित पद					1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1015038	RITESH SINGARE	M	SC	SC
2	1025245	RAJESH KUMAR LOKHANDE	M	SC	SC
3	1014607	KAPIL KAURAV	M	OBC	OBC
4	1025715	DEEPA YADAV	F	OBCF	OBC
5	1025788	MANGILAL WASKEL	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1017125	VISHAL CHINTALU	M	SC
2	1025055	PRIYANK CHACK	M	SC
3	1025429	DEEPAK KUMAR BITHALE	M	OBC
4	1014868	MOOLCHAND LODHI	M	OBC

02

19/8/18

10

19/08/18

2 सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सा.वि.वि. के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	0	0	0	1	1
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	0	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1015499	SHUBHAM KUMBHARE	M	OBC	OBC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1014607	KAPIL KAURAV	M	OBC

टीप :-

- म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये जाते हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाता है।
- महिलाओं/निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संपादित की गई है।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आवेदकों द्वारा सबमिट ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित प्रत्येक प्रविष्टियों को ही शत-प्रतिशत सही मानते हुए इन प्रविष्टियों के आधार पर तथा आवेदक को प्राप्त लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंकों के योग की मेरिट आधार पर चयन परिणाम तैयार किया गया है। जारी किया गया चयन परिणाम निम्नांकित कंडिका के अध्यक्षीन समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही मान्य रहेगा, आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करने की स्थिति में स्वतः ही आवेदक की चयन की अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी --
 - (1) चयन सूची की अनुशंसा विभाग को इस शर्त के साथ अग्रेषित की जावेगी कि विभाग चयन सूची में चयनित मुख्य सूची/अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता की समस्त शर्तें एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियां शत-प्रतिशत सही है अथवा नहीं, आवेदक के मूल अभिलेखों से सूक्ष्मता से मिलान/सत्यापन कार्य पूर्ण कराकर समुचित पुष्टि उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (2) आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया में शासन निर्देशानुसार साक्षात्कार को विलोपित किया गया है। अतः चयनित किये समस्त आवेदकों के नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से समस्त आवेदकों की अर्हताएं विज्ञापन में विज्ञापित वर्णित व्यवस्था अनुसार जाँच की जावेगी, जाँच उपरांत ही विभाग द्वारा आवेदकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर सकेंगे। चयनित आवेदकों में से यदि किसी आवेदक की अर्हताएं विज्ञापन अनुसार पूर्ण नहीं होती है, तो विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित कर आयोग को भी अवगत करायेगें।
- न्यायालयीन प्रकरण वाले 01 अभ्यर्थी का चयन परिणाम रोका जाकर न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन रखा गया है।

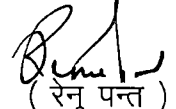
- 6 उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल विज्ञापित 07 पदों में से 02 पद (अ.ज.जा. वर्ग) योग्य आवेदक/आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल पदों में निःशक्तजन श्रेणी हेतु 01 पद (अस्थिबाधित-01) विज्ञापित है परन्तु निःशक्तजन श्रेणी के पर्याप्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण (अस्थिबाधित - 01 पद) कुल 01 पद रिक्त रहा है। शासन निर्देश के परिपालन में निःशक्तजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित के विज्ञापित पदों से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अनारक्षित श्रेणी में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई पद रिक्त नहीं रखा गया है।




19.08.18


19/8/18




(रंजु पन्त)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर